न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 57/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)

(निगराकार)

बनाम

1. श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चतरसिंह हाड़ा जाति राजपूत निवासी ग्राम मऊ ग्राम पंचायत मऊ, पंचायत समिति अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत मऊ जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.)

(गैरनिगराकारान)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994
बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक **(निगराकार)**

निर्णय दिनांक 01.06.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मऊ ने दिनांक 03.06.2004 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 207 साइज 32X50 व दिनांक 23.04.2004 को पट्टा क्रमांक 210 साइज 43X43 कुल क्षेत्रफल 3449 वर्गफीट के गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किये है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगो को रियायती दर पर दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि में नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक, रास्ता, निजी खातेदारी, बाड़ा इत्यादि) में पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने ग्राम पंचायत मऊ की वर्ष 2003–04 में की गयी अंकेक्षण जांच में वर्ष 2001 से 2004 तक जारी पट्टों बाबत आक्षेप गठित किया गया था। इस बाबत संभागीय स्तर की प्रशासनिक समिति में लिये गये निर्णयानुसार लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति अ[illegible] जिसमें भी उक्त पट्टा आबादी भूमि में जारी करना नहीं पाया जाता है। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक [illegible]6.2004 को जारी पट्टा संख्या 207 एवं दिनांक 23.04.2004 को जारी [illegible] निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 12:02:49 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा गैर निगराकार क्रम 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार क्रम 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। प्रकरण के संबंध में उपखण्ड

जिला कलक्टर बारां (राज0)

अधिकारी, मांगरोल से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की। उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के पत्र क्रमांक 202 दिनांक 14.09.2021 से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गैर निगराकार क्रम 1 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उसकी किस्म गै.मु. नाला है।

हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस गैर निगराकार क्रम 1 अनुपस्थित रहे। गैर निगराकार क्रम 2 के अभिभाषक की मृत्यु हो जाने से गैर निगराकार क्रम 2 को पुनः तलब किया गया जिस पर गैर निगराकार क्रम 2 की ओर से प्रतिनिधि दिनांक 05.01.2022 को उपस्थित हुये परन्तु इसके पश्चात बावजूद सूचना गैर निगराकार क्रम 2 अनुपस्थित रहे।

हमने एकपक्षीय बहस उपस्थित अभिभाषक निगराकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि का ना होकर गै. मु. नाला की भूमि का है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 207 दिनांक 03.06.2004 एवं पट्टा क्रमांक 210 दिनांक 23.04.2004 निरस्त फरमाये जावे।

हमने एकपक्षीय बहस निगराकार पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का आबादी भूमि का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को गैर मु. नाला की भूमि के पट्टे जारी किये गये है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जो पट्टे जारी किये गये है, वह अनुचित तरीके से नियम विरूद्व जारी किया गया है।

परिणास्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैरनिगराकार क्रम–1 श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री चतरसिंह को जारी पट्टा क्रमांक 207 दिनांक 03.06.2004 एवं पट्टा क्रमांक 210 दिनांक 23.04.2004 निरस्त किये जाते है। पट्टेधारी को उक्त पट्टों पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 12:02:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां